सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2023 / 41 दर्ज तिथिः—27.01.2023

1. छगनाराम पुत्र महींगाराम
   जाति मेघवाल निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. गोबराराम पुत्र पनाराम
2. वरजू पत्नी मानाराम
3. पदमाराम पुत्र पनाराम
4. नारणाराम पुत्र पनाराम
5. मेवाराम पुत्र भानाराम
6. प्रतापाराम पुत्र भानाराम
7. छगनाराम पुत्र भानाराम
8. भूपाराम पुत्र भानाराम
9. एजना पत्नी पनाराम
10. खेताराम पुत्र भानाराम
11. चेनाराम पुत्र पनाराम
12. प्रभा पुत्र वरजंगाराम
13. बगाराम पुत्र पाताराम
14. बाबू पुत्र वरजंगा
15. मनु पत्नी पाताराम
16. मसरा पुत्र पाता
17. सांवला पुत्र वरजंगाराम
18. अदराराम पुत्र पाताराम
19. जुठा पुत्र पाता
20. ताराराम पुत्र पाताराम
21. नारणा पुत्र पाताराम
22. अगराराम पुत्र नरींगाराम
23. दला पुत्र नरींगाराम
24. धुंका पुत्र महींगाराम
25. पैलाद पुत्र नरींगाराम
26. मेहराराम पुत्र नरींगाराम
27. माकुदेवी पत्नी नरींगाराम
28. सुगा पुत्र लाला

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

जाति मेघवाल निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर

................असल विप्रार्थीगण

29. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी—बाड़मेर

..........................तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री गंगाराम चौधरी
अप्रार्थीगणः—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:संशोधित निर्णयः—

संशोधित निर्णय तिथिः—04.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीनी की खातेदारी आराजी 572/5.2204 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर विद्यमान मार्ग खसरा संख्या 578/2.1448 है0 तथा 571/5.0828 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर से होते हुए कट्टाण रास्ते तक चालू है। अतः खसरा संख्या 578/2.1448 है0 तथा 571/5.0828 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर से होकर करीब 30 फीट चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 30 फुट चौडाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थीनी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से हाजा कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/201 दिनांक 11.03.2024 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1112 दिनांक 22.04.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1112 दिनांक 22.04.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति को स्वीकार करते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1112 दिनांक 22.04.2024 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अनुसार प्रेषित मौका रिपोर्ट तथा प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or	प्रकरण में दिनांक 17.08.2024 को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया।
get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records	प्रकरण में दिनांक 12.04.2024 को भू—अभिलेख द्वारा मय पटवारी स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/220 दिनांक 21.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त अप्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/221—249 दिनांक 21.03.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.04.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

जिरह—प्रार्थी

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए 579/1.2545 है0 तथा 571/5.0828 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर से होकर प्रार्थी की आराजी 572/5.2204 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर तक नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। अंत में प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं होने तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

कानूनी—प्रावधान

4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है जो कि इस प्रकार है—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. *-*

(1) Where -

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant ***preferably*** *having the same price and adjoining to his land.*

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो कि इस प्रकार है—

> ***68. Application under Sec. 251-A.*** *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*
>
> ***69. Enquiry and disposal of application.*** *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*
>
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.*
>
> ***70. Determination of compensation.*** *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*
>
> *(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.*
>
> *(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-*
>
> *(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and*
>
> *(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.*
>
> *(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

विश्लेषण

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तों के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम प्रथम शर्त *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैंः–

1. प्रथम स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते से ही आवागमन करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर अतिक्रमण की वजह से चालू नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते को मौके पर अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाने के लिये संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

3. तृतीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को प्रथम शर्त को पुष्ट मानते हुए द्वितीय शर्त पर परखा जाना चाहिए।

8. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–2 तथा 8 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1112 दिनांक 22.04.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या–5 में का उद्धरण यहां प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार हैः–

> *5. आवेदक के खातेदारी खेत आराजी खसरा संख्या 572/5.2204 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर में आने–जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का रास्ता दर्ज नहीं है।*

प्रकरण में खसरा संख्या 572/5.2204 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार प्रकरण उक्त तृतीय स्थिति के अंतर्गत आता है एवं शर्त संख्या 01 की पूर्णरूप से पुष्टि प्रतीत होती है।

रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता

9. प्रथम शर्त की पुष्टि पश्चात् द्वितीय शर्त *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैः–

1. प्रथम स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से आरम्भ होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड एवं विद्यमान/मौके पर चालू रास्ते से आगे अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंचने वाले लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर केवल मौके पर चालू कदीमी रास्ते/सड़क को धारा–251–ए के तहत विद्यमान मौके पर चालू कदीमी रास्ते/सड़क की चौड़ाई या विस्तारित चौड़ाई के रास्ते पर नवीन रिकॉर्डेड

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही विद्यमान/मौके पर चालू रास्ते को ही रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होता है। उक्त स्थिति में भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह संशय उत्पन्न होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत मंशा से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि नहीं करता प्रतीत होता है।

10. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–2 तथा 8 में रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1112 दिनांक 22.04.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार हैः–

> *5. आवेदक के खातेदारी खेत आराजी खसरा संख्या 572/5.2204 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर में आने–जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का रास्ता दर्ज नहीं है।*

उक्त प्रकरण में खसरा संख्या 572/5.2204 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। उक्त प्रकरण स्थिति संख्या 01 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को नवीन रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आत्यांतिक प्रतीत होती है। इस प्रकार शर्त संख्या 02 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है।

लघुत्तम मार्ग का निर्धारण

11. अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित शर्त संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा तृतीय शर्त *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव* बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का **लघुत्तम मार्ग/नजदीकतम मार्ग** रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु प्रार्थना–पत्र में आवेदित रास्ते ही लघुत्तम रास्ता/नजदीकी रास्ता है अथवा अप्रार्थी/तहसीलदार मौका रिपोर्ट द्वारा लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते/नजदीकी रास्ते का अन्य कोई विकल्प प्रस्तावित किया गया है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न दो स्थितियां सामने आती हैः–

1. प्रथम स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता ही लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते/नजदीकी रास्ते का विकल्प है। इस हेतु संबंधित तहसीलदार की मौका रिपोर्ट/स्वयं पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण से उक्त शर्त की पुष्टि किया जाना आवश्यक है। उक्त स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते को ही लघुत्तम रास्ता/नजदीकी रास्ता माना जाना व्यावहारिक/कानूनन प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता के अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते/नजदीकी रास्ते का विकल्प प्रस्तावित किया जाता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट/स्वयं पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण एवं पत्रावली के तथ्यों व राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन के साथ–साथ निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते/नजदीकी रास्ते के मार्ग का निर्धारण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हैः–

स्थिति	विवरण
1.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की लम्बाई एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प की लम्बाई के अंतर की सीमा।
2.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की लम्बाई एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प की लम्बाई के अंतर की व्यावहारिकता।
3.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प की प्रार्थी की रहवास/घर के संदर्भ में व्यावहारिकता।
4.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

	में आने वाली आराजी के रकबे की अप्रार्थी की खातेदारी आराजी के रकबे के संदर्भ में व्यावहारिकता।
5.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प में आने वाली आराजी के रकबे की क्षतिपूर्ति की प्रकृति (राशि/भूमि के बदले भूमि) के संदर्भ में व्यावहारिकता।
6.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर अप्रार्थीगणों के मध्य सहमति/असहमति के संदर्भ में व्यावहारिकता।
7.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर प्रार्थी द्वारा पूर्व से आमद–रफत के संदर्भ में व्यावहारिकता।
8.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प से अन्य काश्तकारों को होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
9.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर निर्माण/वृक्ष व अन्य सम्पतियों की अवस्थिति के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
10.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प से अप्रार्थी के खसरे/संयुक्त खसरों/मौके पर एकल चकबंदी के खसरों के विखण्डन के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
11.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर आने वाले खसरे/खसरों की संख्या के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
12.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर आने वाले खसरे/खसरों के खातेदारो की एकलता/बहुलता के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
13.	अन्य बिन्दु जो न्यायालय प्रकरण–दर–प्रकरण आवश्यक समझे।

12. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1112 दिनांक 22.04.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 572/5.2204 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर तक पहुंच हेतु 579/1.2545

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

है0 तथा 571 / 5.0828 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर से होकर रास्ते के संबध में एक विकल्प प्रस्तावित किया है।

13. प्रकरण में उक्त विश्लेषण के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण प्रकरण में यथासंभव समस्त तथ्यों का विश्लेषण के पश्चात् तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 1112 दिनांक 22.04.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 572 / 5.2204 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर तक पहुंच हेतु 579 / 1.2545 है0 तथा 571 / 5.0828 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर से होकर रास्ते के संबध में प्रस्तावित विकल्प ही लघुत्तम / नजदीकी मार्ग का व्यावहारिक विकल्प प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम / नजदीकी मार्ग का विकल्प तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 1112 दिनांक 22.04.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित लाल रंग से अंकित मार्ग को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

14. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 1112 दिनांक 22.04.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 1112 दिनांक 22.04.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 572 / 5.2204 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी तक अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 579 / 1.2545 है0 तथा 571 / 5.0828 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर से होकर नवीन रास्ता हेतु प्रस्तावित लाल रंग से अंकित लघुत्तम / नजदीकी मार्ग पर बतौर गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

15. *प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सीपीसी–1908 की धारा–151 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल निर्णय में हुई खसरा संख्या 579 के स्थान पर खसरा संख्या 578 अंकित किये जाने की लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहे। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि मूल निर्णय में हुई खसरा संख्या 579 के स्थान पर खसरा संख्या 578 अंकित किये जाने की लिपिकीय त्रुटि हुई है। अतः उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करते हुए संशोधित निर्णय जारी किया जाता है।* अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/1112 दिनांक 22.04.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन तथा पीठासीन अधिकारी के स्वयं मौका निरीक्षण पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष अनुसार प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गुडामालानी को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 22.04.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट में आराजी हाल खसरा संख्या 579/1.2545 है0 तथा 571/5.0828 है0 वाके ग्राम लूणवा जागीर से होकर में लाल रंग से अंकित मार्ग पर प्रार्थी द्वारा आवेदित चौडाई के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि के नियमानुसार भुगतान पश्चात् अथवा प्रार्थी द्वारा उक्त नवीन रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान अवस्थिति पर समान रकबे की भूमि का विकल्प के आधार पर उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। दिनांक 22.04.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested